

“242 क	87	विद्युत चालित वाहन, जिसमें दो और तीन पहिया वाले विद्युत मोटर वाहन भी आते हैं। स्पष्टीकरण .- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, “विद्युत चालित वाहन” का अर्थ ऐसे वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है। इन विद्युत चालित वाहनों में ई-साइकिल भी शामिल होंगे।”;
--------	----	---

(ख) अनुसूची II – 6% में, क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 375 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “इन्डक्टर्स” के पश्चात “विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन से भिन्न” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/47/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि 1261 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2019

No. 12/2019-Central Tax (Rate)

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I - 2.5%,-

(i) after serial number 234A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“234B	8504	Charger or charging station for Electrically operated vehicles”;
-------	------	--

- (ii) after serial number 242 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“242A	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. <i>Explanation .-</i> For the purposes of this entry, “Electrically operated vehicles” means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E- bicycles.”;
-------	----	--

- (b) in Schedule II - 6%, serial number 206 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) in Schedule III - 9%, against serial number 375, in the entry in column (3), after the word “inductors”, the words “, other than charger or charging station for Electrically operated vehicles” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st August, 2019.

[F.No.354/47/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 24/2018-Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1261(E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2019

सं. 13/2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 540(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
‘(कक) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; या स्पष्टीकरण. - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, “विद्युत चालित वाहन” का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आता है, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है।”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/47/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव